| 9/11 के बाद प्रतिशोधी भेदभाव | |
|---|---|
| ओ एस सी | ई ई ओ सी |
| विशेष परामर्शदाता कार्यालय | समान रोज़गार अवसर आयोग |
| आप्रवासन सम्बन्धी अनुचित रोज़गार आचरण | Source: www.eeoc.gov/facts/backlash-employee.htm |
| नागरिक अधिकार विभाग, अमेरिकी न्याय मंत्रालय | our our minocoo go mada austra on projection in |
| अधिकार क्षेत्र: | अधिकार क्षेत्र: |
| निषद्ध आचरणः विशेष मामलों को छोड़कर नौकरी पर रखने, नौकरी से निकाल देने और एक विशेष शुल्क लेकर नौकरी देने या दिलवाने, रोज़गार योग्यता के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया (फ़ार्म आई-9) के दौरान नाजायज़ दस्तावेज़ों की मांग करने और राष्ट्रिकता/आप्रवासन दर्जे तथा मूल राष्ट्रिकता को लेकर प्रतिशोधी रवैय्या अपनाने की मनाही है. | निषद्ध आचरणः रोज़गार चाहे जैसा भी हो, रोज़गार की शर्तें चाहे जो भी हों, इस क्षेत्र में किसी तरह का भी धार्मिक भेदभाव, मूल राष्ट्रिकता, लिंग, आयु, शारीरिक अक्षमता, गर्भधारण और जातीय भेदभाव नहीं बरता जायगा. |
| रोजगारदाता ध्यान देः चार या चार से ज़्यादा कर्मचारियों वाले रोज़गारदाताओं पर राष्ट्रिकता, आप्रवासन दर्जे को लेकर और असंगत दस्तावेज़ों की मांग करके काम न देने की मनाही है. चार से चौदह कर्मचारियों वाले रोज़गारदाता को मूल राष्ट्रिकता के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है. | <u>रोजगारदाता श्रेणीः</u> जिसके पास पन्द्रह या इससे ज्यादा कर्मचारी हों. |
| <u>आरक्षित व्यक्तिः</u> अमेरिकी राष्ट्रिक और प्राधिकृत व्यक्ति मूल राष्ट्रिकता को लेकर किए जाने वाले भेदभाव और अवैध दस्तावेज़ों के इस्तेमाल की परिधि में नहीं आते. अमेरिकी राष्ट्रिक, हाल में वैध घोषित स्थायी निवासी, राजनीतिक शरण प्राप्त व्यक्ति, शर्णार्थी और अस्थायी निवासी, राष्ट्रिकता और आप्रवासन दर्जे संबंधी भेदभाव से संरक्षित हैं. | कर्मचारी श्रेणीः सभी व्यक्ति चाहे उनका आप्रवासन दर्जा कुछ भी हो. |
| रोज़गार भेदभाव के उदाहरण | रोज़गार भेदभाव के उदाहरण |
| धार्मिक भेदभाव: | धार्मिक भेदभाव: |
| अनवर, मिस्र से आया हुआ राजनीतिक शरण प्राप्त व्यक्ति है. वह एक वितीय सेवाएं देने वाली कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन देता है. कंपनी उसे नौकरी देने से इंकार कर देती है क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रिक नहीं है और न ही उसके पास स्थायी रूप से रहने के अधिकार देने वाला ग्रीन कार्ड है. ऐसे में अनवर को क्या करना चाहिए? | निरन्दर एक दक्षिण एशियाई सिख है जो पगड़ी पहनता है. वह किसी कंपनी में कैशियर की नौकरी के लिए आवेदन देता है. उसे नौकरी देने से इसलिए इन्कार कर दिया जाता है क्योंकि उसकी धार्मिक वेशभूषा को देखकर ग्राहक घबरा सकते हैं. ऐसे में कंपनी को क्या करना चाहिए? |
| अनवर विशेष परामर्शदाता के कार्यालय में राष्ट्रिकता/आप्रवासन दर्जे को लेकर बरते गए भेदभाव के विरुद्ध शिकायत कर सकता है. रोज़गारदाता राजनीतिक शरण पाने वाले या शर्णार्थी को यह कह कर नौकरी देने से इंकार नहीं कर सकता कि वह अमेरिकी राष्ट्रिक नहीं है या वैध स्थायी निवासी नहीं है, या उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है. ऐसा क़दम तभी उठाया जा सकता है जब कि क़ानून, नियम या सरकारी ठेके में यह ज़रूरी ठहराया गया हो. | कंपनी, निरंदर को नौकरी देने से इस कारण इंकार नहीं कर सकती कि ग्राहक उसकी धार्मिक वेशभूषा को देखकर घबराहट महसूस कर सकते हैं. निरंदर के साथ यह धार्मिक भेदभाव अवैध होगा. नौकरी देने से इंकार का कारण उसका सिख होना होगा. किसी को उसके धर्म, जाति या राष्ट्रीय मूल के प्रति दुराग्रह के आधार पर नौकरी न देना और उसके साथ सद्व्यवहार न करना ग़ैरकानूनी है. |
| रोज़गारदताओं के लिए आई-9 फ़ार्म भरवा कर यह सुनिश्चित कर लेना ज़रूरी है कि सभी नए कर्मचारी रोज़गार पाने योग्य हैं या नहीं, वह अमेरिकी राष्ट्रिक हैं या नहीं, प्रार्थी रोज़गार के लिए स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची में से चयन कर | |

सकता है. इन दस्तावेज़ों में अबाधित सोशल सिक्यूरिटी कार्ड और ड्राइवर्स लाइसेन्स शामिल हैं. इस उद्देश्य के लिए रोज़गारदाता को ग़ैर-राष्ट्रिकों से ग्रीन

कार्ड दिखाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं.

उदाहरण जारी

राष्ट्रिकता और आप्रवासन दर्जे को लेकर भेदभाव

- * रोज़गारदाता लिखकर लगाता है .'हम केवल अमेरिकियों को नौकरी देते हैं"
- * रोज़गारदाता आवेदक को नौकरी देने से इसलिए इंकार करता है कि वह अमेरिकी राष्ट्रिक की तरह दिखाई नहीं देता या देती."
- * रोज़गारदाता उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देता है जो अमेरिकी राष्ट्रिक नहीं हैं या "विदेशी" दिखाई देते हैं.

मूल राष्ट्रिकता को लेकर भेदभाव

- * रोज़गारदाता उन आवेदकों को नौकरी देने से इंकार कर देता है जो अरब या दक्षिण एशियाई मूल के हैं या वैसे दिखाई देते हैं.
- * रोज़गारदाता उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता है जो सिर को दुपट्टे से ढक कर रखते हैं, पर्दा करते हैं या पगड़ी पहनते हैं.
- * रोज़गारदाता हर उस व्यक्ति को नौकरी देने से इंकार करता है जिसके बोलने का ढंग विदेशी है.
- * रोज़गारदाता पाकिस्तान में जन्मे कर्मचारी को संबोधित करते हुए निंदा भरे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसके परिणाम में कर्मचारी को मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ता है.

दस्तावेज़ों को लेकर अन्यायपूर्ण आचरण

- * रोज़गारदाता अमेरिका में नौकरी पाने की योग्यता प्रदेशित करने के लिए अरब मूल के अमेरिकियों द्वारा पेश कियेगए दस्तावेज़ रद्द कर देता है (फ़ार्म आई-9)
- * रोज़गारदाता सभी दक्षिण एशियाइयों से नया आई-9 फ़ार्म भरने को कहता है जबिक अन्य कर्मचारियों से ऐसा नहीं कहा जाता.
- * रोज़गारदाता आई-9 फ़ार्म को पूरा करने के लिए मुस्लिम दिखाई देने वाले आवेदकों या नये कर्मचारियों से अमेरिका की राष्ट्रिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ उपलब्ध कराने को कहता है जबिक अन्य आवेदकों से केवल क़ानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है (जैसे कि सोशल सिक्यूरिटी कार्ड और ड्राइवर्स लाइसेन्स.)
- * रोज़गारदाता आई-9 फ़ार्म मुकम्मल करने के लिए ग़ैरराष्ट्रिकों से आई एन एस या डी एच एस द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहता है जबिक दूसरी तरफ़ वह आवेदकों को स्वीकार्य दस्तावेज़ पेश करने का अवसर नहीं देता (जैसे कि अबाधित सोशल सिक्यूरिटी कार्ड और ड्राइवर्स लाइसेन्स.)

विशेष परामर्शदाता कार्यालय ओ सी सी के साथ संपर्कः ओ सी सी से और ज़्यादा जानकारी के लिए और शिकायती फ़ार्म प्राप्त करने के लिए इस पर जाएं www.usdoj.gov/crt/osc या ओ एस सी की निःशुल्क वर्कर हौटलाइन 1-800-255-7688 (TDD 1-800-237-2515) पर टेलीफ़ोन करें.

तथाकथित भेदभाव बरते जाने के बाद आरोप 180 दिनों के अन्दर अन्दर दर्ज किया जाना चाहिए. उदाहरण जारी

धार्मिक भेदभावः

अन्य धर्मों के कर्मचारियों की तरह, मुस्लिम कर्मचारियों को भी धार्मिक अवसरों पर छुट्टियों की ज़रुरत होती है या विशेष वेशभूषा धारण करने और सजने की इजाज़त की ज़रुरत होती है.

किसी कंपनी के मुस्लिम कर्मचारी अपने अफसर से नमाज़ पढ़ने के लिए पड़ोस की इमारत के बैठक के कमरे का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगते हैं. अनुरोध करने से पहले यह कर्मचारी अपने वर्क स्टेशन पर ही नमाज़ पढ़ रहे होते हैं. ऐसे में कंपनी को क्या करना चाहिए?

कमरे की ज़रुरत जब व्यापारिक कामकाज के लिए हो तो कंपनी निजी धार्मिक कृत्यों के लिए कमरे का इस्तेमाल रोक सकती है. कर्मचारियों को कमरे का इस्तेमाल धार्मिक क्रियाओं के लिए करने देने में कंपनी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए. नमाज़ अवकाश के समय भी पढ़ी जा सकती है, इसलिए काम के घंटों के दौरान नमाज़ के लिए पर्याप्त समय देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए. यदि नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरी इमारत में जाने में अवकाशकाल से ज़्यादा समय लगता है, तो काम को लचीला बनाकर कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है. कंपनी कर्मचारियों से कह सकती है कि जो अतिरिक्त समय नमाज़ पढ़ने में लगता है, उसकी पूर्ति वह ज़्यादा समय तक काम करके करें.

काम की जगह पर परेशानियों के उदाहरण

मोहम्मद एक कंपनी में काम करता है. वह अपने प्रबंधक से शिकायत करता है कि उसका सहकर्मी बिल उसे हमेशा एक स्थानीय आतंकवादी कह कर "कैमल जौकी" और "आयातोल्लाह" के नाम से संबोधित करता है और कि बिल ग्राहकों के सामने उसे जानबूझ कर लिज्जित करता है. कंपनी के प्रबंधकों तथा अन्य अधिकारियों को जब काम की जगह पर धर्म या राष्ट्रीय मूल पर आधारित आपितजनक आचरण की जानकारी मिलती है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वे अपने मातहत किसी भी कर्मचारी के आचरण को सही करने हेतु क़दम उठायें. यदि बिल उनके मातहत नहीं हैं तो प्रबंधक को उनके प्रबंधक तक मोहम्मद की शिकायत पहुंचानी चाहिए. अगर कंपनी इस निश्चय पर पहुंचती है कि मोहम्मद को वास्तव में परेशान किया गया है, तो उसे बिल के ख़िलाफ़ ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए जो इस तरह के आचरण की रोकथाम के लिए कारगर हो.

ई ई ओ सी से संपर्कः ई ई ओ सी के बारे में और जानकारी के लिए इस पर जाएं <u>www.eeoc.gov</u> या इस नंबर पर निःशुल्क टेलीफ़ोन करें 1-800-669-4000 (TTY 1-800-669-6820). तथाकथित भेदभाव बरते जाने के बाद आरोप 180 दिनों के अन्दर अन्दर दर्ज किया जाना चाहिए.